निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर,बड़ीसादड़ी जिला चित्तौडगढ़

बईजलास बिन्दूबाला राजावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – 09/2019 मु.रे. निर्णय दिनांक 17/ 05/2022

श्री रमेशचन्द्र पिता बालूराम जी जाति सुनार आयु 55 वर्ष, निवासी निकुंभ तहसील बड़ीसादड़ी जिला चितौड़गढ़ – प्रार्थी

बनाम

1– श्री ओमप्रकाश पिता घीसूलाल जाति सोनी आयु वयस्क निवासी झण्डा गली जावद तहसील जावद जिला नीमच(म.प्र.)

2– श्रीमती मंजूदेवी पत्नी घीसूलाल जाति सोनी आयु वयस्क निवासी झण्डा गली जावद तहसील जावद जिला नीमच(म.प्र.)

3– श्री राज्य सरकार जरीये भूमिधारी तहसीलदार, बड़ीसादड़ी

– विपक्षीगण

उपस्थित – श्री दिनेश कुमार वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थी
– श्री सैय्यद मोहम्मद माजिद, अधिवक्ता विपक्षीगण

न्यायालय सहायक कलेक्टर (छावनी) बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

निर्णय

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि –प्रार्थी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट का न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया साथ ही एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि मौजा निकुंभ की खाता सं. 626 की आराजी नं. 166 रकबा 0.3600है. आराजी नं. 167 रकबा 0.1900 हैक्टे. आराजी नं. 175 रकबा 0.04 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.59 है. लगानी 7. 43 रूपया स्थित है। उक्त आराजी बालूराम जी सुनार के खातेदारी की थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र प्रार्थी रमेशचन्द्र एवं पुत्री राधा बाई के नाम पर विरासत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। राधा बाई ने अपने जीवनकाल में अपने पिता से प्राप्त अचल सम्पत्ति बाबत एक वसीयत नामा दिनांक 22/01/2018 को प्रार्थी रमेशचन्द्र के पक्ष में निष्पादित कर सिपुर्द कर दिया तथा वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी अपने पिता के समय से शांतिपूर्वक [illegible] होकर काश्त कर रहा है केवल मात्र राधा बाई का नाम [illegible] वह अपने ससुराल जावद में निवास करती थी।राधाबाई के द्वारा प्रार्थी [illegible] पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया है तथा राधा बाई की मृत्यु [illegible]2018 को हो चुकी है [illegible] मृतक राधाबाई का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर आराजीयात प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.06.09 17:19:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

खातेदारी में घोषित की जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करायी जावे। वादग्रस्त आराजीयात में मृतक राधा बाई का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है , विपक्षी सं. 1 व 2 राधा बाई के पुत्र व पुत्री है तथा विपक्षीगण राजस्व कर्मचारी से मिलकर उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम पर दर्ज कराकर रहन, बय, बक्षीश कर हस्तांतरीत करने पर आमादा है इसलिए विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा मृतक राधाबाई के द्वारा अपने हिस्से की आराजीयात जरीये वसीयतनामा के प्रार्थी को दे दी है तथा वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहा है जिससे प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है ।यदि विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो राधाबाई के वारीसान वादग्रस्त आराजी को अपने नाम पर दर्ज कराकर आराजीयात को हस्तांतरीत कर देंगे जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थी के पक्ष में है इसलिए विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध अन्तरीम अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय द्वारा जारी कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी न. 01 व 02 की तरफ से अधिवक्ता सैय्यद मोहम्मद माजिद, ने वकालातनामा पेश किया। अप्रार्थी न. 03 बावजुद सुचना के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी न. 01 व 02 ने अपने जवाब में बताया कि उक्त आराजीयात बालूराम जी के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी उनके वारीस प्रार्थी रमेशचन्द्र एवं विपक्षी सं. 1 व 2 की माता राधाबाई की खातेदारी में उनके हक हिस्से अनुसार दर्ज रिकार्ड होकर राधा देवी का व प्रार्थी रमेशचन्द्र अपने 1/2 हिस्से पर घीसूलाल की मृत्यु के बाद से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। विपक्षीगण की माता राधाबाई कभी भी प्रार्थी रमेशचन्द्र के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की और राधाबाई अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजी पर विपक्षीगण के साथ आती जाती थी और उसी समय से वादग्रस्त आराजीयात का उपयोग उपभोग राधाबाई और विपक्षीगण करते चले आ रहे है। राधाबाई की मृत्यु के बाद राधाबाई के वारीस विपक्षी सं. 1 व 2 राधाबाई के 1/2 हक हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त कर रहे है। प्रार्थी ने वसीयत नामे के आधार पर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है। उक्त वसीयत राधाबाई ने कभी भी निष्पादित नहीं की वरन् प्रार्थी रमेश ने [illegible] सुथार और स्टाम्प वेण्डर से मिलाभगती कर और आपराधिक षडयन्त्र कर फर्जी व कूटरचित वसीयत तैयार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.06.09 17:19:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

जिस बाबत विपक्षी सं.1 ओमप्रकाश ने थाना बडीसादडी में रिपोर्ट पेश की जिसकी एफ.आई.आर नं. 83/19 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी. आई.पी.सी में प्रकरण दर्ज करवा रखा है जिसका अनुसंधान पुलिस थाना बडीसादडी द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थी राधाबाई का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाने का अधिकारी नहीं है वरन राधा बाई के 1/2 हिस्से को विपक्षीगण सं. 1 व 2 अपने नाम पर दर्ज करवाने के अधिकारी है। विपक्षी ने उक्त आराजीयात को किसी भी व्यक्ति को रहन, बय, बक्षीश व हस्तांतरीत करने के पूर्णरूप से अधिकारी है। प्रार्थी विपक्षीगण को किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का अधिकारी नहीं है। विपक्षीगण अपने हक हिस्से की आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। राधाबाई ने रमेशचन्द्र के पक्ष में कभी भी कोई वसीयतनामा निष्पादित नहीं किया। प्रार्थी का कोई केस प्रमाणित नहीं है और न ही प्रार्थी को किसी प्रकार की क्षति कारीत हो रही है वरन् राधाबाई के खातेदारी की आराजी को विपक्षीगण कानूनी रूप से अपने नाम पर दर्ज रिकार्ड कराने के अधिकारी है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता की सुनी गयी।प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया तथा निवेदन किया कि मृतक राधाबाई ने अपने जीवनकाल में स्टाम्प के उपर दिनांक 22/01/2018 को वसीयतनामा निष्पादित किया है तथा प्रार्थी सम्पूर्ण आराजी पर काबिज है प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र की पुष्टि में पडोसियों के शपथपत्र, नकल जमाबंदी, असल वसीयतनामा तथा पुलिस द्वारा एफ.आई.आर नं. 83/2019 में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बडीसादडी में एफ.आर. प्रस्तुत की उसकी फोटोप्रति प्रस्तुत की तथा प्रार्थनापत्र के पुष्टि में न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2006(2) पेज 1101,आर.आर.टी 2009-10 **supp.** पेज 208, आर.आर.टी 2018-19 **supp.** पेज 531, आर.आर.टी 2018-19 **supp.** पेज 618 प्रस्तुत किये तथा निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। विपक्षी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि विपक्षी द्वारा प्रस्तुत एफ.आई.आर पर प्रार्थी को गिरफ्तार किया है तथा वसीयत के गवाह को भी गिरफ्तार किया है। उक्त वसीयतनामा फर्जी है इसलिए विपक्षीगण को [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। विपक्षीगण मृतक राधाबाई के वारिसान है इसलिए उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा विपक्षीगण [illegible] दर्ज कराया जावे व प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जावे तथा अपने पक्ष की पुष्टि में विपक्षी के द्वारा एफ.आई.आर की प्रति तथा ए.सी.जे.एम कोर्ट बडीसादडी के फर्द अहकाम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.06.09 17:19:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

फोटोप्रति तथा न्यायालय द्वारा प्रार्थी की जमानत दरख्वास्त खारीज किये जाने का आदेश व विपक्षी ओमप्रकाश के बयान की फोटोप्रति व रिमांड के कागजात की

फोटोप्रति प्रस्तुत की व निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र फर्जी दस्तावेज के आधार पर व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा फर्जी होकर अनरजिस्टर्ड है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जावे।

बहस सुनने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का भी गहनता से ससम्मान अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र को साबित करने हेतु नकल जमाबंदी प्रस्तुत की व राधाबाई द्वारा निष्पादित वसीयत नामा प्रस्तुत तथा आराजीयात के पडोसी के शपथ पत्र पेश किये व पुलिस द्वारा उक्त एफ.आई.आर में एफ.आर प्रस्तुत की जिसकी फोटोप्रति प्रस्तुत की जिसका भी अवलोकन किया। प्रकरण में वसीयत से संबंधित पुलिस थाना बडीसादडी में जांच लम्बित है , सक्षम न्यायालय द्वारा प्रार्थी पर दर्ज एफ.आई.आर में आरोप भी नहीं लगाये है न ही चालान प्रस्तुत हुआ है , अभी फौजदारी कार्यवाही में अनुसंधान लम्बित है,पुलिस द्वारा पूर्व में एफ.आई.आर नं. 83/19 में जांच कर एफ.आर प्रस्तुत की है तथा न्यायालय द्वारा पुनः जांच हेतु पुलिस थाना बडीसादडी को उक्त पत्रावली भिजवायी तो प्रार्थी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, ऐसी स्थिति में पुलिस की कार्यवाही पर भी संदेह उत्पन्न होता है तथा प्रार्थी का वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है तथा प्रार्थी के द्वारा राधाबाई द्वारा निष्पादित वसीयतनामे के आधार पर घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। उक्त वसीयतनामा साक्ष्य के दौरान साबित होगा जिस पर अभी कोई टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। प्रथम दृष्टया प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा पडोसी के शपथपत्र से सम्पूर्ण आराजी पर बालूराम जी की मृत्यु के पश्चात कब्जा होना भी साबित है जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विपक्षीगण को जरीये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो विपक्षीगण वादग्रस्त आराजी को अपने नाम पर करवा कर आराजी को हस्तांतरीत करने में सफल हो जावेंगे जिससे अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थी के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजी का घोषणा से संबंधित विवाद होना जाहिर है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरे इस प्रकरण पर पुर्णतया चस्पा होती है। इसलिये उक्त सभी तथ्यों की पुष्टि साक्ष्य ली जाने के पश्चात ही निर्णित हो सकेगी तथा वा[illegible] नहीं बढे वादग्रस्त भुमियो को खुर्द बुर्द होने से रोका जाना तथा पक्षकारों को न्याय मिल सके इस हेतु प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.06.09 17:19:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरीये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौजा निकुंम की आ.न. 166,167,175 कुल किता 03 रकबा 0.59 हैक्टर भूमि की मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात को हस्तांतरीत नहीं करें न करावे । मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाई रखी जावें।

निर्णय सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(बिन्दूबाला राजावत)आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर
बड़ीसादड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.06.09 17:19:25 IST
Reason: SelfAttested